बिहार को बाल विवाह और दहेज़ मुक्त कराने में मीडिया की भूमिका

उद्देश्य

इस दस्तावेज़ को बनाने का उद्देश्य बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने में मीडिया की भूमिका को तलाशना है साथ ही यह उन तथ्यों पर भी प्रकाश डालता है कि मीडिया किस तरह से बिहार में छेड़े गए इस राज्यव्यापी आंदोलन का हिस्सा बन कर बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है।

दुनिया में पुरूषों और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है,लेकिन दुनिया में खबरों में सुनने और पढ़ने में महिलाओं की स्थिति तकरीबन 24 फीसदी है। विश्व में 76 प्रतिशत खबरें जो हम सुनते और पढ़ते हैं वो पुरूषों से संबंधित होती हैं।

डाटा स्रोत: ग्लोबल मीडिया निगरानी परियोजना 2015

मीडिया: परिभाषा,पहुंच एवं भूमिका

समाज में मीडिया की भूमिका पर बात करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि मीडिया क्या है? हमारे आस-पास जो कुछ भी घटता है उसे हम तक पहुंचाने वाला माध्यम मीडिया कहलाता है। जैसे समाचार पत्र-पत्रिकाएं,टीवी,रेडियों,सोशल मीडिया आदि मीडिया के विभिन्न माध्यम हैं। आज की भाग-दौड़ से भरी जिंदगी में मीडिया की भूमिका बहुत तेज़ी से बढ़ गयी है साथ ही ऑनलाइन और सोशल मीडिया ने मीडिया की नई परिभाषा स्थापित कर दी है। सोशल मीडिया ने विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक,ट्विटर,इंस्टाग्राम एवं वाट्सअप इत्यादि से सामाजिक आंदोलनों को नई धार देकर समाजिक बदलाव का एक अद्भुत खाका खींच दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत में मोबाइल क्रांति ने भी इस दिशा में काफी मदद की है।

मीडिया की समुदाय तक पहुंच

मीडिया की समुदाय तक पहुंच की जानकारी के लिए निम्नलिखित आंकड़ो पर नज़र डालते हैं, जो विभिन्न श्रोतों पर आधारित है-

(ट्राइ)भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के फरवरी 2017 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक अरब 18 करोड़ से अधिक मोबाइल धारक हैं।
स्रोत- **http://www.livemint.com/Industry/qou0tFJ4UGWrwToowv9bHL/Telecom-subscriber-base-grows-to-118-billion-in-February-T.html**

वहीं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मार्केट रिसर्च फर्म आईएमआरबी के मुताबिक जून 2017 तक भारत में 45 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट उपयोग करने लगें हैं।
स्रोत- **http://www.livemint.com/Industry/QWzIOYEsfQJknXhC3HiuVI/Number-of-Internet-users-in-India-could-cross-450-million-by.html**

देश भर में इस समय एक लाख से अधिक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहें हैं।
स्रोत- **https://factly.in/indian-newspapers-more-than-one-lakh-newspapers-periodicals-registered-in-the-country/**

वर्तमान में 116 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषा के न्यूज चैनल ऑन एयर हैं।
स्रोत- **https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_news_channels_in_India#Hindi_news_channels**

बिहार में भी डीएवीपी के आंकड़ों के मुताबिक 90 से अधिक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहें हैं, जिनमें से अकेले पटना से ही करीब 63 समाचार पत्र निकल रहे हैं।
स्रोत- **http://www.davp.nic.in/**

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर हम देख सकते हैं कि मीडिया की समुदाय के स्तर पर अत्याधिक पहुंच है इसलिए निश्चित रूप से इसका सीधा प्रभाव हमारे और हमारे समाज के ऊपर पड़ता है।

मीडिया की सामाजिक बदलाव में हितधारक के रूप में भूमिका

ऐतिहासिक काल से ही मीडिया को सामाजिक बदलाव लाने में एक प्रमुख हितधारक के रूप में जाना जाता रहा है। स्वतंत्रता से पहले की बात हो या उसके बाद की मीडिया तमाम सामाजिक आंदोलनों का गवाह रहा है। महात्मा गांधी से लेकर राजा राम मोहन राय तक ने सती प्रथा,छुआछूत,बाल विवाह और जातिवाद जैसी बुराइयों से लड़ने में मीडिया का सहारा लिया है। आज भी मीडिया किसी भी सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उतना ही प्रांसगिक है जितना पहले था। बाल विवाह और दहेज के मुद्दे पर भी मीडिया ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। जिसका सकारात्मक परिणाम लोगों के जागरूकता के स्तर में वृद्धि के रूप में सामने आया है। अत: यह आवश्यक है कि इस विषय पर और संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया जाए।
मीडिया का बदलता स्वरूप एवं सामाजिक बदलाव का संदर्भ

पिछले 15 वर्षों में मीडिया के स्वरूप में बहुत तेज़ बदलाव देखने को मिला है। सूचना क्रांति एवं तकनीक विस्तार के चलते मीडिया की पहुंच व्यापक हुई है। इसके समानांतर भूमंडलीकरणए उदारीकरण एवं बाज़ारीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई है। जिससे मीडिया अछूता नहीं है । नए-नए चैनल खुल रहे हैं, नए-नए अखबार एवं पत्रिकाएं निकाली जा रही है और उनके स्थानीय एवं भाषायी संस्करणों में भी विस्तार हो रहा है । आज लगभग हर आदमी तक किसी न किसी माध्यम से मीडिया की पंहुच है। मीडिया समाज के सुदृढ़ विकास व सामाजिक सुधार में अपना दायित्व बख़ूबी निभा रही है।

सूचना क्रान्ति के दौर में सोशल मीडिया ने भी समाज में खासी जगह बनाई है। सोशल मीडिया ने वैचारिक अभिव्यक्ति को बहुत बड़ा मंच प्रदान किया है। अगर सोशल मीडिया की भाषा सकारात्मक व तथ्य सही हों तो यह दहेज और बाल विवाह जैसे मुद्दों को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है।

सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर समाज में अभिमत बनाकर आंदोलन खड़ा करने में मीडिया ने अपनी सशक्त भूमिका निभाई है। जैसे- लोकपाल के मुद्दे पर किया गया अन्ना आंदोलन हो या 16 दिसम्बर 2012 को निर्भया के साथ हुई दुखद घटना,इनसे जुड़े मुद्दों पर आंदोलनों में सोशल मीडिया की भूमिका साफ देखी जा सकती है। जिसने सारे देश को एक कर दिया था। हर प्रदेश, शहर यहां तक की छोटे कस्बों में भी लोग सड़कों पर इन आंदोलनों के समर्थन में कैंडिल लेकर निकल पड़े थे। ज़ाहिर है कि आज के दौर में मीडिया के माध्यम के रूप में अन्य मीडिया के साख ही सोशल मीडिया भी सामाजिक बदलाव लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

सोशल मीडिया समाजिक बदलाव की एक नई ताकत

समय के साथ आये बदलाव ने मीडिया के लिए एक अलग भूमिका भी तैयार की है, पहले संपादक के नाम पत्र/पाठकों के पत्र जैसे कॉलम से समाचार पत्र जहां लोगों को अपनी बात, समस्याएं उठाने का मौका देते थें, वहीं आज के दौर में सिटीजन जर्नलिस्टस, फोटो जर्नलिस्म जैसे पत्रकारिता के नए आयाम भी जुड़े हैं जिसमें पाठकों ने खुद मोबाइल वीडियो वाट्सअप जैसे माध्यमों से खबरों और मुद्दों को लेकर एक नई तरह की पत्रकारिता की शुरूआत कर दी है।

इन दिनों कई टीवी चैनल सोशल मीडिया पर आधारित कई प्रोग्राम चला रहे हैं, तो कई सीधे दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप भी जनता से सरोकार रखने वाली खबर, वीडियो, फोटो उनसे शेयर करें जिससे वो उसे अपने चैनल पर प्रसारित कर सकें। सोशल मीडिया की पहुंच व्यापक होने की वजह से यह जागरुकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण कारक है।

विश्व के विभिन्न कोनों से लोग बाल विवाह और दहेज के परिणाम पर अपना विचार साझा कर सकते हैं, दूर होते हुए भी अपने आस-पास के क्षेत्र के बारे में पढ़-लिख सकते हैं और दूसरों के साथ भी विचार-विमर्श करके इन मुद्दो को आगे बढ़ा सकते हैं जिससे अन्य लोग भी दहेज और बाल-विवाह के दुष्परिणाम को जाने और उसे रोकने के प्रयास में साथ देने के लिए आगे आएं। लेकिन इसके खतरे भी बहुत हैं खास तौर से सोशल मीडिया में बंट रहा कंटेंट या सूचना सही है इसको सत्यापित करने की गुजाइंश कम होती है। लिहाज़ा सूचना के इस दौर में सूचना के तंत्र की ज़िम्मेदारियां भी बढ़ गई है।

बाल विवाह एवं दहेज के विरूध राज्यव्यापी अभियान में मीडिया की भूमिका: मुद्दे,चुनौतियां एवं संभावनाएं

मीडिया न केवल ज्ञान का प्रचारक है और सूचना के आदान-प्रदान का माध्यम है बल्कि किसी भी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की क्षमता भी रखती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बाल विवाह और दहेज के विरूध इस अभियान को भी मीडिया जन आंदोलन बनाने का प्रयास करे।

आज कल हमें दहेज की मौत और उससे संबंधित मामलों पर बहुत कम खबरें दिखती हैं। क्योंकि मीडिया खासकर राष्ट्रीय मीडिया और विशेष रूप से अंग्रेजी मीडिया इन कहानियों को बहुत कम ही रिपोर्ट करते हैं। बाल विवाह की खबरें भी आंकड़ो तक ही सिमट कर रह जाती हैं। उनसे जुड़े अन्य सामाजिक-आर्थिक तथ्यों पर ध्यान नही दिया जाता है या उन पर शोध भी नही किया जाता है। भारतीय महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा जानबूझकर मीडिया कवरेज में नजरअंदाज कर दिया जाता है।

दहेज और बाल विवाह के मुद्दों से संबंधित कहानियां विशेष रूप से हिंदी गढ़ से डाउन मार्केट कहानियों के रूप में माना जाता है, अकसर इन मुद्दे से जुड़ी खबरों में प्रोफाइल यानी यह देखा जाता है कि खबर किसके संबंधित है, उनके रहन-सहन का स्तर क्या है और वो किस लिंग, जाति, समुदाय से जुड़ा मामला है, क्या संबंधित मीडिया का दर्शक या पाठक वर्ग इसे पढ़ना या देखना चाहेगा इस आधार पर तय किया जाता है कि खबर की जाएगी या नही। अकसर सामाजिक सरोकार के पैमाने पर उन्हें नही कसा जाता है और उन्हे ड्राप(छोड़) कर दिया जाता है।

मीडिया समूह जानबूझकर महिलाओं की आबादी के (आधी आबादी) अधिकारों एवं हितों से संबंधित खबरों को बाहर कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी कहानियां पर्याप्त रूप से रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह महसूस किया जा रहा है कि भारत के शहरी उच्च जाति और ऊपरी वर्ग के पाठकों और दर्शकों को इस प्रकार की खबरों से कोई विशेष लेना-देना नहीं है।

इन मुद्दों में मीडिया कैसे मदद कर सकता है:

कई मायनों में मीडिया भारतीय समाज से बाल विवाह और दहेज प्रथा को हटाने की क्षमता रखता है। इसके लिए बस कुछ विशेष कदम उठाने की ज़रूरत है-

- संबंधित समाचार प्रकाशित करके और अधिकारियों को बाल विवाह और दहेज से संबंधित अपराध के किसी भी मामले की जानकारी के बारे में सूचना देने कर वो बाल विवाह और दहेज की संभावनाओं पर एक प्रभावी नजर रख सकते हैं।

- सही और बैध सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाना एक अच्छी तरह से जागरूक समुदाय के लिए पहला कदम है और मीडिया इस कार्य के लिए सबसे सही माध्यम है।

- खबरें खुद में और सामाजिक मानदंडों का निर्माण तो करती ही है साथ ही वो समाजिक मानदंडो को दिखाने वाले आइने के रूप में भी काम करती है। अगर भारतीय समाचार मीडिया लैंगिक पूर्वाग्रह को रोकने में भूमिका निभाना चाहता है, तो उसे अपनी खबरों का नज़रिया 'महिलाओं के खिलाफ अपराधों' से बदल कर 'हमारे खिलाफ अपराध करने' की आवश्यकता है। यह महिलाओं के मानवाधिकारों को मज़बूती प्रदान करेगा।

- खास तौर से हिन्दी भाषी क्षेत्र जहां पुरूष प्रधान मानसिकता समाज की जड़ो में गहराई से बसा हुआ है वहां बाल विवाह और दहेज संबंधित समाचारों को अधिक प्राथमिकता देने की ज़रूरत है।

- अपनी खबरों और लेखों माध्यम से इन मुद्दों से संबंधित कानून की जानकारी नियमित रूप से पाठकों को देकर, अकसर यह देखने में आया कि तमाम लोग कानून का जानकारी न होने की वजह से भी कई बार यह अपराध कर बैठते हैं।

- कानून का पालन कैसे किया जा रहा है, वर्तमान में इन मुद्दों से जुड़े कितने मामले विचारधीन है इन सब पर खबरें कर सकता है।

- कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ इसके रोकथाम के लिए जो संस्थागत प्रावधान है जैसे इस प्रकार की घटनाओं की सूचना किसे और कैसे दें, इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है।

- इसका समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, इस पर स्टोरी कर सकता है।

- इन मुद्दों पर खबरों की श्रृखंला/कैंपेन चला सकता है।

- सकारात्मक खबरों को प्रमुखता के साथ अपनी खबरों में जगह दे सकता है जिससे बदलाव का संदेश बेहतर तरीके के साथ लोगों तक पहुंचे।

- इस दिशा में बेहतर काम करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को खबरों के माध्यम से प्रोत्साहित करके जिससे अन्य लोग भी समाजिक बदलाव का वाहक बन कर आगे आएं।

- मीडियाकर्मी स्वंय अपने परिवार में बाल विवाह को हतोत्साहित करके और दहेज रहित विवाह को प्रोत्साहित करके सीधे इन मुद्दों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं एवं समाज के लिए एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं।

- खोजी खबरें करके, उदाहरण के लिए बाल विवाह की घटनाएं होते हुए भी उनसे जुड़े दर्ज मामलों की संख्या बेहद कम हैं, इसके पीछे क्या कारण हैं,इन पर स्टोरी करके।

- इन मुद्दों को अपनी खबरों में नियमित विशेष जगह देकर।
- स्थानीय स्तर पर इन मुद्दों पर खबरें लिखने,शोध करने और उसका फॉलोअप करने की ज़रूरत है।
- बाल विवाह का विरोध करने वाले किशोर किशोरियों, युवाओं एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सफलता की कहानियों की विशेष श्रृंखला चलाने की जरूरत है, यह न केवल उनके प्रयासों को मज़बूती देगा बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श का काम करेगा।
- वरीय पत्रकारों, ग्रामीण पत्रकारों, स्तंभकारों को बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसे मुद्दों पर लिखने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है।
- मुद्दों पर आधारित पत्रकारों का समूह बनाने की ज़रूरत है जो उन मुद्दों को लेकर अपने लेखों के माध्यम से मज़बूत पैरोकारी कर सकें।

मीडिया की ज़िम्मेदारी

बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों का अंत करने में भी मीडिया अहम रोल अदा कर सकता है। सामाजिक सरोकार के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता में मीडिया को आगे आने की आवश्यकता है, जिससे सही मायने में सुदृढ लोकतंत्र की स्थापना हो सके। मीडिया यह सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के उनके सभी अधिकार मिलें। मीडिया को इस जघन्य रिवाज के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये और अधिक सक्रिय भूमिका को अपनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही इस विषय को सार्वजनिक बातचीत का विषय बनाने के लिए मीडिया को इन विषयों पर इस तरह से काम कर सकता है-

- बाल विवाह और दहेज से जुड़ी खबरें निष्पक्ष हों, उसमें सभी पक्षों को संतुलित मत प्रस्तुत किया जाए।
- खबरों का प्रस्तुतिकरण इस तरह से न हो जो मुद्दों से ध्यान हटाकर दूसरी तरफ ले जाए। जैसा कई बार खास तौर से महिलाओं से संबंधित खबरों में देखने को मिलता है, खबरों को रोचक बनाने के चक्कर में उनका सही तथ्य ठीक तरह से पाठकों के सामने नही आ पाता है।
- बाल विवाह और दहेज से जुड़ी सकारात्मक खबरों को अधिक बढ़ावा देना चाहिए जिससे उत्साहित होकर और लोग इस मुहिम से जुड़ें।
- खबरों के प्रस्तुतिकरण में संवेदनशीलता बरती जाए, अकसर देखने को मिलता है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में महिला के पक्ष की प्रस्तुति आरोपी की तरह की जाती है और आरोपी को हीरो की तरह प्रस्तुत किया जाता है, इससे बचने की ज़रूरत है।
- अन्य खबरों की तरह बाल विवाह और दहेज के मुद्दे भी महत्वपूर्ण है, जवाबदेही के साथ उन्हें जगह देने की ज़रूरत है।
- सामाजिक मानदंडों पर भी नियमित कुठाराघात करने की ज़रूरत है, ताकि समाज की परंपरागत सोच बदल सके। इसके लिए किशोरियों एवं महिलाओं को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

मीडिया महिलाओं और पुरूषों के बारे में जनमानस के विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लैंगिक छवि को दर्शाने या दिखाने वाली रिपोर्टिंग के किसी भी रूप से बचा जाए, जो अक्सर दुनिया और उसकी संभावनाओं के बारे में सही दृश्य पेश नही करता है। जो एक मानसिक अवरोध को भी दर्शाता है कि समाज महिलाओं और पुरूषों से क्या उम्मीद रखता है, वो भी बिना ये सोचे की महिला और पुरूष खुद अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं।

यूनेस्को 2012

बच्चों और महिलाओं से संबंधिक खबरों को करते समय सावधानियां

- किसी भी खबर को करते समय बच्चे या महिला के अधिकारों और उनके आत्मसम्मान का आदर किया जाए।
- रिपोर्टिंग या इंटरव्यू के दौरान किशोर-किशोरियों के अधिकारों और उनकी गोपनीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- किशोर-किशोरियों के मुद्दों और बाल अधिकारों के प्रचार के लिए किसी भी अन्य विचार जिसमें विवाद शामिल है पर प्रत्येक किशोर-किशोरी के सर्वोत्तम हितों को संरक्षित किया जाना चाहिए।
- हमें उनकी उम्र और परिपक्वता के मुताबिक उसके विचारों को भी महत्व देना चाहिए।
- जो उनकी स्थिति को सबसे करीब से जानता हो और उनका आंकलन करने में सबसे अधिक सक्षम हो, उनसे रिपोर्ट के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में परामर्श करना चाहिए ।
- किसी ऐसी कहानी या छवि,फोटो,वीडियो को प्रकाशित या प्रसारित न करें जो कि बच्चे उसके परिवार या साथियों को जोखिम में डाल सकती है तब भी जबकि उसकी पहचान बदल दी गई हो ।
- किसी भी ऐसे सवाल,टिप्पणी और व्यवहार से बचें जो उन्हें अपमानित महसूस कराए या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए या उसे उस घटना के बारे में उनकी बुरी यादों को ताज़ा करें।
- सेक्स, जाति, धर्म, उम्र और शारीरिक क्षमता आदि के आधार पर साक्षात्कार के लिए संबंधित पक्षों के चयन में भेदभाव न करें।
- यह सुनिश्चित करें कि उनके संरक्षक/अभिभावक यह जानते हों कि वो संवाददाता से बात कर रहे हैं और खबर करने की पीछे उनका उद्देश्य क्या है।
- खबर को प्रकाशित/प्रसारित करने, उनके फोटो, वीडियो के उपयोग के लिए उनके संरक्षक की सहमति ज़रूर ली जानी चाहिए।
- हमेशा उनकी कहानी या छवि के लिए एक सटीक संदर्भ प्रदान करें।
- खबरों को करते समय हमेशा ध्यान रखें कि जिसके साथ घटना हुई है, वो अगर बालिग नही है या वो नही चाहता है कि उसकी फोटो,वीडियो,पहचान जाहिर हो तो उसकी पहचान को अस्पष्ट कर दें।

- ऐसी छवियों के चित्रण से बचें जो महिलाओं कामुकता के नाम पर महिलाओं का प्रस्तुतिकरण यौन वस्तुओं के रूप में चित्रित करते हों।
- ऐसी कहानियों को दिखाने की कोशिश करें जो पुरुषों और महिलाओं के बहुआयामी प्रतिनिधित्व का चित्रण करते हों।
- उन कहानियों और खबरों से बचें जो निष्पक्ष चित्रण न करती हो।
- किसी भी लिंग आधारित मान्यता बनाने से बचें।
- महिलाओं और पुरुषों का ऐसा प्रतिनिधित्व न करें जो उनके निषप्क्ष लिंग आधारित विशेषताओं और गुणों का चित्रण न करते हों।
- निष्पक्ष लैंगिक भाषा का प्रयोग करें।
- रूड़ीवादी विचारधारा को दूर करते हुए महिला और पुरूष का उचित, न्यायसंगत और पूर्वाग्रह मुक्त चित्रण किया जाए।
- मीडिया संगठनों के भीतर लैंगिक समानता स्थापित की जाए।

स्त्रोत- **https://www.unicef.org/uganda/Guidelines_for_Reporting_on_Children1.pdf**

मीडिया के भीतर इन मुद्दों पर रिपोर्ट करने में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें

कई बार देखने में आता है कि रिपोर्टर खबर करना चाहता है, लेकिन संपादकों/प्रबंधन ने खबर को जगह नही दी। ऐसे में सोशल मीडिया एक ऐसा जगह देता है जहां पर वो महत्वपूर्ण कहानियां प्रकाशित कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर गुमनाम नाम से लिख सकते हैं, अन्य मीडिया संस्थानों से भी अपनी खबर और लेख को प्रकाशिक करने के लिए बात कर सकते हैं।

स्ट्रींगर्स आपके लिए ज़मीनी स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, आंकड़ो और विवरण का स्त्रोत हो सकता है। इनसे जुड़े रहने का सबसे अच्छा माध्यम सोशल मीडिया है। फेसबुक, वाट्सअप, मैसेंजर जैसे माध्यमों से जुड़कर आप के इनके साथ जुड़कर इन मुद्दों पर काम करना आसान हो जाएगा।

मीडिया निकायों द्वारा स्वत-नियमन

मीडिया घरानों/संस्थानों को ऐसी कहानियों के लिए एक निशुल्क स्लॉट भी रखना चाहिए,या इसके लिये अपने समाचार पत्र या चैनल आदि में इन मुद्दों से संबंधित खबरों का निश्चित प्रतिशत तय होना चाहिए।

मीडियाकर्मियों के लिए कैपसिटी बिल्डिंग/प्रशिक्षण/संवेदीकरण

उन्हें समाचारों और आंकड़ों के संग्रहण और खास तौर से समाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग के बारे में समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

मीडिया के स्टूडेंट/मीडिया संस्थानों के साथ जुड़ाव

सोशल मीडिया मीडिया संस्थानों और उनके स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए एक व्यापक माध्यम देता है। साथ ही मीडिया संस्थानों को ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिसमें मीडिया संस्थान और स्टूडेंट दोनों हिस्सा ले सकें, इसमें इच्छुक स्टूडेंट को प्रशिक्षु के रूप में भी अवसर देना चाहिए।

मेंटोरशिप: मीडिया संस्थानों को नए लोगों को अवसर देने के साथ उन्हें वरिष्ठों के मेंटोरशिप में रखना चाहिए जिससे वो मुद्दों को लेकर संवेदशील रहें और उन्हें बेहतर तरीके से उठा सकें।

पुरस्कार: मुद्दों पर अच्छी खबरों, लेख आदि लिखने वालों को बेस्ट स्टोरी, बेस्ट हेडलाइन आदि जैसे पुरस्कार देकर उन्हें भविष्य में बेहतर रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

खबरों की रिपोर्टिंग के समय हमें कुछ तथ्यों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जैसे खबर का सूत्र कौन है, खबर किसके हित में है,खबर में किस तरह की भाषा का उपयोग करना है, खबर किस तरह के विचारों की पुष्टि करती है, खबर का मापदंड क्या है? इन बातों का ध्यान में रखकर सही और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की जा सकती है।

असंवेदशील लैंगिक रिपोर्टिंग से बचने और पता लगाने के लिए चेक लिस्ट

1: रिपोर्ट का सूत्र कौन है?
- कितने सूत्र सरकार और कार्पोरेट कंपनियों के अधिकारी हैं?
- कितने सूत्र प्रगतिशील और सार्वजनिक हित समूहों से हैं?
- कितने सूत्र महिलाएं या बच्चें हैं?
- कितने समूह अल्पसंख्यक या कमजोर वर्ग से हैं?

2: किसके नज़रिये से ख़बर रिपोर्ट की गई है?
- यह रिपोर्ट किसके हित में हैं?
- क्या यह हित सरकार के हित से मेल खाता है?
- क्या यह हित कार्पोरेट के हित से मेल खाता है?
- क्या यह रिपोर्ट जनता के हित में हैं? किस हित में है?

3: क्या समाचार रिपोर्ट में दोहरे मापदंड हैं?
- क्या यहां विरोधाभाषी दोहरे मानक है, उदाहरण के लिए, एकल पिता और उनके हालात के लिए हम सहानुभूति जताते हैं, जबकि एकल मां के हालातों को कठिनाई से जीवन जीने लायक कहा जाता है?

4: क्या इस रिपोर्ट में रुढ़ीवादी विचारों का प्रयोग किया गया है?
- कैसे एक समूह की कहानी में चित्रित किया है?
- क्या यह समूह हमेशा कुछ विशेषताओं के साथ जुड़ा रहा है?

5: क्या विशेष अर्थ को प्रस्तुत करती हुई भाषा का चुनाव किया गया है?
- क्या भाषा पर्याप्त जनता की राय बताने का उद्देश्य पूरा करती है?
- क्या भाषा इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है कि जनता अपनी राय कायम कर सके?

6: क्या रिपोर्ट संदर्भित है?
- अगर इसे कहानी के संदर्भ में डाल दिया तो क्या जनता अपनी राय कायम कर सकती है।

7: क्या प्रयोग किया गया ग्राफिक्स भाषा सामग्री से मेल खाता है?
- क्या छवियां और चित्र इस भाषा की सामग्री का खंडन करते हैं?
- क्या इस कहानी की सामग्री जनता को दूसरे अर्थों में देखने के लिए प्रेरित करती है?

स्त्रोत- यूनेस्को की प्रेरणा से ब्रेकथ्रू द्वारा विकसित की गई संवेदनशील लैंगिक रिपोर्टिंग गाइड लाइन।

बाल विवाह मुक्त हमारा बिहार

बिहार की पत्रकारिता जिसने देश को रास्ता दिखाया है

बिहार के एक अखबार की कहानी जो आज भी है मिसाल

सर्चलाइट की कहानी पत्रकारिता ही नहीं दुनिया भर के लिए एक मिसाल है। सर्चलाइट पटना का एक ऐसा दैनिक अखबार था जिसके एक संपादक आज़ादी की लड़ाई के दिनों में जेल गए तो दूसरे संपादक आज़ादी के बाद। पहले संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे तो दूसरे थे टी जे एस जॉर्ज। इस अखबार के संस्थापकों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। बाद में इसे बिड़ला बंधुओं ने खरीद लिया था। इस बीच सर्चलाइट ने पत्रकारिता के क्षेत्र में मील के कई पत्थर गाड़े। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में साप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था। 1920 में यह त्रि-साप्ताहिक बना। 1930 से यह दैनिक के रूप में छपने लगा। बीच में कई कारणों से इसका प्रकाशन पांच बार बंद हुआ। 1986 में बिड़ला समूह ने सर्चलाइट की जगह पटना से हिन्दुस्तान टाइम्स निकालना शुरू कर दिया।

आज़ादी के बाद भी सर्चलाइट का तेवर बना रहा था। साठ के दशक में टी जे एसजार्ज ने बिहार सरकार के भ्रष्टाचार और ज़्यादतियों को उजागर करना शुरू किया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री के. बी.सहाय ने जॉर्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भिजवा दिया। के बी सहाय के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई थी। नतीजतन 1967 के चुनाव में पहली बार बिहार से कांग्रेस की सत्ता चली गई थी। उससे पहले के बी सहाय चाहते थे कि अखबार जनता की नाराज़गी की खबरें न छापे। जॉर्ज इसके लिए तैयार नहीं थे। 1974 के जेपी आंदोलन के समय सरकार ने सर्चलाइट,प्रदीप का सरकारी विज्ञापन ही बंद कर दिया था।

बाढ़ का सती केस, एक अखबार का असर!

उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। पटना जिले के बाढ़ में एक महिला ने अपने पति की चिता पर जल कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों पर केस चलाया। उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। अदालत ने उन लोगों को सज़ा दे दी।

उस वक्त पटना हाईकोर्ट के अधिकतर जज अंग्रेज थे। इस केस के फैसले के दौरान एक जज ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे भारतीय खास कर हिंदू भावना को ठेस पहुंचती थी। इस पर 1928 और 1929 में सर्चलाइट ने कई लेख लिखे। इन लेखों को हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना माना। उस वक्त संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। सर्चलाइट के बचाव में पटना हाईकोर्ट में वकील के रूप में मोती लाल नेहरू, सर तेज नारायण सप्रू और शरतचंद्र बोस उतरे। सरकार की तरफ से सर सुलतान अहमद ने वकालत की। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 जजों की खंडपीठ बनी। अखबार को अवमानना का दोषी माना गया। सर्चलाइट पर 200 रुपए का जुर्माना हुआ। अखबार प्रबंधन या संपादक जुर्माना भरने का तैयार नहीं थे।

ऐसे में किसी अनाम व्यक्ति ने जुर्माना भर दिया। क्योंकि अदालत एक संपादक को जुर्माने के बदले जेल नहीं भेजना चाहती थी। उन दिनों यह चर्चा थी कि जुर्माना खुद मुख्य न्यायाधीश ने अपनी तरफ से भर दिया है। बाद में डा.सच्चिदानंद सिन्हा के आवास पर मुख्य न्यायाधीश और मुरली मनोहर प्रसाद की मुलाकात हुई। मुख्य न्यायाधीश संपादक की निष्ठा से प्रभावित थे। बाद में मुख्य न्यायाधीश एक भारतीय नाम से सर्चलाइट में लेख लिखने लगे। वह मुख्य न्यायाधीश सर कोर्टनी टेरेल थे जो लगातार दस साल तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। यह था एक अखबार का असर!

एक संपादक जिसने चंपारण को पूरे देश का मुददा बना दिया

1913 में बिहार के अलग होने के बाद डॉ सच्चिदानंद सिन्हा ने मेहुर कॉलेज इलाहाबाद के प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद को बिहारी का संपादक बनाया। इतिहास के प्रोफेसर को बिहार के समस्याओं की गहरी समझ थी। जब कोई पत्र समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर लेता है तो उसके संपादकों को उसका शिखर अस्तित्व बरकरार रखने के लिए अपना 100 प्रतिशत देने के साथ ही नए सामाजिक मुद्दे भी तलाशने होते हैं जिससे लोगों का जुडाव हो सके। महेश्वर प्रसाद को चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचार ने अत्यंत व्यथित किया। उन्होंनें इसके बारे में गहराई से अध्ययन किया और 9 आलेखों की श्रृंखला लिखी। श्री महेश्वर प्रसाद ने अपने इस आलेख की नौवीं कड़ी श्क्या चार्ल्स बेले को निलहे साहबों ने बंधक बना लिया है शीर्षक से लिखा। इस अंतिम लेख के बाद चार्ल्स बेले,बिहार के पहले गर्वनर के सब्र का बांध टूट गया और उन्होनें तत्काल प्रबंधन को उन्हें हटाने का फरमान जारी कर दिया इससे पहली बार चंपारण की समस्या के बारे में बिहार के बाहर के लोग भी रुबरू हो रहे थे। इसके बाद द स्टेटसमैन ने अपने एक संवाददाता को भी ग्राउंड जीरो रिर्पोट के लिए चंपारण भेजा। स्वतंत्र बिहार के पहले संपादक के रूप में महेश्वर प्रसाद का कार्यकाल केवल डेढ़ साल का रहा पर इतने समय में ही उन्होनें न केवल चंपारण में हो रहे किसानों पर अत्याचारों के इस मुद्दे को राष्ट्रीय बना दिया साथ ही अंग्रेजी सरकार को भी ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य कर दिया जिससे स्वतंत्र प्रेस के प्रति अंग्रेजों की असहिष्णुता एकदम से उजागर हो जाए। इसी घटना के बाद राजकुमार जी के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आएं।

शराबबंदी के बाद मीडिया में सामाजिक मुद्दों की रिर्पोटिंग

कन्या बचाओ, टीच इंडिया, अन्दान जल और प्रकृति बचाओ जैसे कुछ अभियानों के ज़रिए हमने मीडिया को नए ही रूप में देखा है। शराबबंदी के प्रति जीविका की दीदीयों के संघर्ष को पत्रों पर जगह देने और 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू होने के बाद उसके बारे में एक जन सहयोग पैदा करने में मीडिया की सक्रियता और मुखरता काफी महत्वपूर्ण रही है। समस्या आधारित सामाजिक मुद्दों की रिर्पोटिंग के साथ ही उससे जुडी केस स्टडी, सफलता की कहानियों और इस कुरीति के खिलाफ काम कर रहे लोगों की कहानियों को लगभग सभी मीडिया ने प्रकाशित और प्रसारित किया है।

शराबबंदी के बाद बाल बिहार की मीडिया ने कुपोषण, बाल विवाह और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर काफी संवेदनशीलता के साथ रिर्पोटिंग की है । 2014 से शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए गए शौचालय निर्माण और उससे जुड़े अन्य मामलों पर मीडिया रिर्पोट करती रही है।

अब तक 7 दशकों में मीडिया के मिजाज़, स्वरूप, काम करने के तौर तरीकों और काम करने की शैली के साथ ही पत्रकारों के रहन-सहन में बदलाव आया है। बदलाव तो एक शाश्वत प्रक्रिया है और बदलाव ज़रूरी भी है लेकिन बदलाव की इस यात्रा में मीडिया के द्वारा नैतिक मूल्यों, सामाजिक चेतना और सामाजिक मुददों को कैसे परिभाषित किया गया अथवा कैसे स्थान दिया गया है और वो मुद्दे किस हद तक उनकी प्राथमिकता में शामिल हैं यह देखना काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।

मीडिया की पहुंच का विस्तार हुआ है, पर यही बात कवरेज के बारे में नहीं कही जा सकती। समाचार चैनल और अखबार समाज की समस्याओं के प्रति सचेत हैं और उन्होंने कुछ विशेष अभियान भी शुरू किए हैं । लेकिन ज़रूरत है सामाजिक समस्याओं और मुद्दों के बारे में और अधिक लिखने की।

In partnership with